चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0’

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानो की एंटीरोमियों टीमों द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत थाना क्षेत्र में जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह व उनकी टीम द्वारा मु0नं0 435/15,मु0अ0सं0 400/14 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के वारंटी अभियुक्त छोटा यादव पुत्र गोपाली यादव उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम रमयापुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह

2.आऱक्षी नवीन कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यापाल सिंह,क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद,प्रभारी आरआई राकेश समाधिया,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा आरआई रीडर कार्यालय में नियुक्त मुख्य आरक्षी स्व0 राजेश कुमार अग्निहोत्री के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर शोक सलामी देकर पुलिस अधीक्षक,अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा स्व0 राजेश कुमार अग्निहोत्री के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अन्तिम विदाई दी गई।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

▶ आवेदिका श्रीमती गिरजा देवी पत्नी निलेश पहाड़ी चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति निलेश निवासी कुल्ली जनपद फतेहपुर व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती रंजना तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह, महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती रंजना तिवारी

2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3. महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मुन्नीलाल तथा हमराही द्वारा अभियुक्त अनीष सिंह उर्फ राहुल सिंह पटेल पुत्र भैरव प्रसाद निवासी चकभडेसर मजरा पिपरौद थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 310 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

310 ग्राम सूखा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

2.आरक्षी शुभम त्रिपाठी

3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(6). ‘‘मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित ‘‘मिशन शक्ति अभियान-5.0’

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना पहाड़ी की एण्टीरोमियों टीम द्वारा आदर्श पब्लिक स्कूल पहाड़ी में,थाना सरधुवा की एण्टीरोमियों टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाईस्कूल अरछा बरेठी में,थाना भरतकूप की एण्टीरोमियों टीम द्वारा शारदा इण्टर कॉलेज गौतम बुद्धनगर भरतकूप में,थाना मानिकपुर की एण्टीरोमियों टीम द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना बरगढ़ की एण्टीरोमियों टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालय बरगढ़ में एवं थाना रैपुरा की एण्टीरोमियों टीम द्वारा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय रैपुरा में ‘‘मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।
(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 16.10.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 699/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त दादू लाल उर्फ कामता प्रसाद प्रजापति पुत्र मोहनलाल उर्फ रामखिलावन निवासी कनैली पुरवा मजरा गोबरिया थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 16.10.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 265/2016 धारा 323,504 भा0द0वि0 के अभियुक्त शिवप्रकाश पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम सिकरिया मजरा तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.09.016 को वादिया श्रीमती सरोज पत्नी शिवभवन निवासिनी सिकरिया थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त शिवप्रकाश उपरोक्त द्वारा वादिया व वादिया के पति के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट,गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 265/2016 धारा 452,354ब,323,504,506 भा0द0वि0 व 3(2)5क,3(1)घ एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत

किया गया,जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री बृजराज सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 19.11.016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(9). सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दीपावली अमावस्या पर्व दिनाँक 20.10.2025 को नियत है जिसमें तीर्थ यात्रियो/श्रद्धालुओं का आवागमन 18.10.2025 से 22.10.2025 तक रहेगा।

दीपावली अमावस्या पर्व के अवसर पर सुदृढ़ एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत अमावस्या पर्वों पर यह देखने में आया है कि श्रद्धालुओं के समूह द्वारा जोखिम उठाते हुए माल वाहनों जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप,लोडर से मेला में आगमन किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़ी कई गम्भीर दुर्घटनायें प्रकाश में आयी है। जिसमें भारी जनहानि हुई है।

दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने तथा जनसुरक्षा को ध्यान मेंरखते हुए चित्रकूट पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि ट्रैक्टर-ट्राली जैसे कृषि यन्त्रों के स्वामी/चालक तथा अन्य माल वाहनों के स्वामी/चालक किसी भी परिस्थिति में मेलों या तीर्थ स्थलों की यात्रा के दौरान इन वाहनों को सवारी के रूप में उपयोग न करें यदि मालवाहक वाहनों को सवारी के रूप में उपयोग करते पाया गया, तो सम्बन्धित वाहन के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी और वाहन को जब्त कर लिया जायेगा ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

(10).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम व उनकी टीम द्वारा मु0नं0 51/11 धारा 376 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त सुनील कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 लल्लू राम निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री राधोश्याम सिंह

2.आरक्षी उपेन्द्र कुमार